



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 340]
No. 340]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2005/चैत्र 11, 1927
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2005/CHAITRA 11, 1927

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

का.आ. 488(अ).—दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 4 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 26-7-2004 की अधिसूचना के क्रम में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिल्ली नगर कला आयोग (डीयूएसी) में पद का कार्यभार संभालने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, श्री चार्ल्स कोरिया, को अध्यक्ष (अंशकालिक) तथा श्री जसबीर साहनी, श्री मोहम्मद शहीर और श्रीमती नारायणी गुप्ता को सदस्य (अंशकालिक) के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. ए-11013/7/2003-डीडीआईए]

परमजीत सिंह, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2005

S.O. 488(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 5 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974) and in continuance of notification dated 26-7-2004, the Central Government hereby appoints Shri Charles Correa as Chairman (Part Time) and Shri Jasbir Sawhney, Shri Mohammad Shaheer and Smt. Narayani Gupta as Members (Part Time) in the Delhi Urban Art Commission (DUAC), for a period of three years from the date of assumption of the charge of the post, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. A-11013/7/2003-DDIA]

PARMJIT SINGH, Desk Officer